



2026:AHC:67594

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या- 1766 वर्ष 2026

सलीम अहमद अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अभिनव शुक्ला, राम शिरोमणि शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 50

माननीय न्यायमूर्ति श्री शेखर कुमार यादव

1. धारा 14-A(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रस्तुत आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम) सोनभद्र द्वारा केस अपराध संख्या-151 वर्ष 2015 से उत्पन्न जमानत आवेदन संख्या-52 वर्ष 2026 में पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो धारा 323, 354, 504, 506 IPC और एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना-म्योरपुर, जिला सोनभद्र की धारा 3(1)(x) के तहत है।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और पूरे अभिलेखों का अवलोकन किया। नोटिस की तामील के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि सूचनाकर्ता ने इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज की है कि 31.01.2015 को जब सूचनाकर्ता क्योरपुर बाजार गया, तो लगभग 12.00 बजे जब वह अपीलकर्ता की दुकान पर पहुंचा तो अपीलकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया, उसने उसे अपनी दुकान के पीछे की तरफ जबरन ले जाने की भी कोशिश की। आगे यह आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है और उसे जान से मारने की धमकी दी है।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि आक्षेपित प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। बताया जाता है कि यह घटना 31.01.2025 को हुई थी, जबकि आक्षेपित प्राथमिकी 12.02.2015 को द०प्र०स० की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई है, यानी लगभग 12 दिन की देरी से। यह बिना किसी चोट के मामला है। अभिलेखों पर कोई चोट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण फंसाया गया है। धारा 161 द०प्र०स० और 164 द०प्र०स० के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार, उसके बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, लेकिन विवेचनाधिकारी ने इन सभी तथ्यों पर विचार किए बिना अपीलकर्ता और सह-आरोपी सरदुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर अवर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और अपीलकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है। आगे का निवेदन यह है कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है। आगे का निवेदन यह है कि निकट भविष्य में मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए, अपीलकर्ता को जमानत पर बढ़ाया जा सकता है। अपीलकर्ता 19.01.2025 से जेल में बंद है, जिसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

5. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने वर्तमान अपराध को यह जानकर किया है कि पीड़ित एस.सी./एस.टी. समुदाय से संबंधित है। आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित पूरे अभिलेखों को ध्यान से देखा है।



7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता के जमानत आवेदन को खारिज करने में गलती की। आक्षेपित आदेश दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जा सकता है और अपील की अनुमति दी जा सकती है।

8. तदनुसार, अपील की **अनुमति** दी जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश को एतद्वारा **रद्द/अपास्त** किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध संख्या-में शामिल अपीलकर्ता-सलीम अहमद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या उस पर संदेह है, जिसके बारे में उस पर संदेह है।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026



अजीत

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।